उत्तर प्रदेश शासन

नियोजन अनुभाग-1

संख्याः21/2016/600/35-1-2016-2/1(12)/2016

दिनांकः 18 जुलाई, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश शासन, राज्य योजना आयोग-1 (नियोजन विभाग) के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 17/2एम(8)/35-आ-1/2002-06 दिनांक 27 सितम्बर, 2002 में संशोधन करते हुये राज्य योजना आयोग के अन्तर्गत गठित एन0जी0ओ0 प्रकोष्ठ का कार्य जनशक्ति नियोजन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 के अन्तर्गत करने एवं प्रकोष्ठ मुख्य कार्य के साथ ही राज्य सलाहकार समिति के पुर्नगठन और उसके कार्य को श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

एन0जी0ओ0 प्रकोष्ठ के मुख्य कार्य

1. राजकीय योजनाओं/कार्यक्रमों में सहभागी स्वयं सेवी संस्थाओं के सम्बन्ध में नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना।
2. स्वयं सेवी संस्थाओं की सहभागिता के लिये शासन द्वारा अनुमोदित प्रोसीजर्स को क्रियान्वित कराना।
3 विभागों द्वारा जिलास्तर एवं राज्य स्तर पर कार्य करने वाली स्वयं सेवी संस्थाओं का कार्यानुसार कार्य न करने पर विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड संस्थाओं हेतु प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में कार्य करना।
4. घोषित ब्लैक लिस्टेड संस्थाओं की सूची समस्त जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराने के साथ ही एन0जी0ओ0 प्रकोष्ठ की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना।
5. योजनाओं से सम्बन्धित ऑन-लाइन पोर्टल तथा उपयुक्त आई0टी0 एप्लीकेशन के निर्माण से सम्बन्धित कार्यवाही करना।
6. स्वयं सेवी संस्थाओं के डाटाबेस हेतु पोर्टल का निर्माण करना।
7. स्वयं सेवी संस्थाओं को ऑन-लाइन सूचीबद्ध करना एवं विशिष्ट पहचान (यूनीक आई0डी0) प्रदान करना।
8. राजकीय योजनाओं में सहभागी स्वयं सेवी संस्थाओं का डाटाबेस तैयार करना।
9. स्वयं सेवी संस्थाओं की सक्सेस स्टोरीज एवं प्रशंसनीय कार्यों का प्रचार-प्रसार करना।
10. राजकीय विभागों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के मध्य समन्वय का कार्य करना।

राज्य सलाहकार समिति

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन -अध्यक्ष।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन - स्थायी सदस्य।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन - स्थायी सदस्य।
4. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन - स्थायी सदस्य।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. निदेशक, जनशक्ति नियोजन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 – सदस्य सचिव।

उपर्युक्त के अतिरिक्त विभिन्न विकास/कल्याण विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को भी आवश्यकतानुसार इस समिति में नामित किया जा सकता है। इस समिति के कार्य निम्नवत् होंगे:-

1. राजकीय योजनाओं में स्वयं सेवी संस्थाओं की सहभागिता से सम्बिन्धत नीतिगत विषयों पर विचार-विमर्श करना।
2. प्रस्तावित ब्लैक लिस्टेड संस्थाओं के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेना।

नियोजन विभाग के अन्तर्गत जनशक्ति नियोजन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 स्टेट एडवाइजरी कमेटी के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।

(अरूण कुमार सिन्हा)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 21/2016/600(1)/35-1-2016-2/1(12)/2016 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
3. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त विशेष सचिव, नियोजन विभाग।
8. निदेशक, जनशक्ति नियोजन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0।
9. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. समस्त प्रभागाध्यक्ष, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0।
11. समस्त अधिकारी, नियोजन विभाग/राज्य योजना आयोग/नियोजन विभाग एवं राज्य योजना आयोग के समस्त अनुभाग/भूमि उपयोग परिषद।

आज्ञा से,

(जे0बी0 सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in